

दिल्ली विकास प्राधिकरण
खेल विंग : समन्वय शाखा
सिरी फोर्ट खेल परिसर, अगस्त क्रांति मार्ग
नई दिल्ली-110049

डीडीए वसंत कुंज खेल परिसर में बास्केटबॉल कोचिंग प्रदान करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना

डीडीए वसंत कुंज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राजस्व बंटवारे के आधार पर बास्केटबॉल कोचिंग आयोजित करने के लिए पेशेवर खेल प्रशिक्षकों / एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित करता है।

कोचों/कोचिंग एजेंसियों से अनुरोध किया जाता है कि वे विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करें, जिसमें कोचों की प्रोफाइल, प्रस्तावित दरें, समय, कोचिंग सहायता और उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित तकनीक शामिल हैं। वार्षिक ठेके तकनीकी और वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन के बाद दिए जाएंगे। कोचिंग अनुबंध सालाना अधिकतम पांच साल के कार्यकाल के लिए बढ़ाया जा सकता है।

तकनीकी बोलियां अनुबंध-I और II के अनुसार और वित्तीय बोली अनुबंध-III के नियमों और शर्तों के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए। तकनीकी और वित्तीय बोलियां दो अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में प्रस्तुत की जानी चाहिए जिन पर क्रमशः "तकनीकी बोली" और "वित्तीय बोली" लिखा होना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से कोच/एजेंसी के नाम का उल्लेख हो। इन दोनों सीलबंद लिफाफों को एक अलग सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए, जिस पर "वसंत कुंज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बास्केटबॉल में कोचिंग के लिए बोली" लिखा होना चाहिए। विस्तृत प्रस्ताव (अर्थात तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) सचिव (समन्वय), स्पोर्ट्स विंग, सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110049 को 22.07.2022 तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इस प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत नहीं की गई बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

विस्तृत पात्रता मानदंड, नियम और शर्तें, चयन का तरीका आदि के लिए, कृपया डीडीए की वेबसाइट www.dda.gov.in ("सार्वजनिक सूचना" और "निविदाएं" वेब पेजों में) देखें। विवरण सचिव (समन्वय), सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली -110049 और वसंत कुंज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।

आयुक्त (खेल)

दिल्ली विकास प्राधिकरण
वसंत कुंज खेल परिसर
वसंत कुंज, दिल्ली-110070

विषय: डीडीए वसंत कुंज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बास्केटबॉल कोचिंग आयोजित करने के लिए प्रस्ताव (एनआईपी) आमंत्रित करने की सूचना।

पार्श्वभूमि:

1. डीडीए वसंत कुंज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राजस्व बंटवारे के आधार पर बास्केटबॉल कोचिंग आयोजित करने के लिए पेशेवर खेल प्रशिक्षकों / एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित करता है।
2. वर्तमान में डीडीए वसंत कुंज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आश्रितों को छोड़कर 1,500 से अधिक सदस्यों की कुल सदस्यता है और परिसर का उपयोग मासिक आधार पर लगभग 1,400 व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।
3. सदस्यों के साथ-साथ गैर-सदस्यों के लिए वसंत कुंज खेल परिसर में उपलब्ध सुविधाओं पर कोचिंग प्रदान की जाती है। डीडीए बुनियादी ढांचा प्रदान करने के साथ-साथ सुविधाओं का रखरखाव भी करता है जबकि पेशेवर कोच/कोचिंग एजेंसियां कोचिंग प्रदान करती हैं।

नियम और शर्तें:

4. राजस्व बंटवारे के आधार पर कोचिंग प्रदान की जाती है। कोच/एजेंसी और डीडीए के बीच कोचिंग शुल्क का हिस्सा क्रमशः 60:40 होगा। हालांकि, जिन सुविधाओं के लिए डीडीए सबसे अधिक प्रशिक्षण सहायता, वातानुकूलित सुविधाएं आदि प्रदान करता है, उनके लिए साझेदारी का अनुपात 50:50 होगा।
5. खेल में क्षमता रखने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कम से कम 10% प्रशिक्षुओं को कोच/कोचिंग एजेंसियों द्वारा मुफ्त कोचिंग प्रदान की जानी है। जहां प्रशिक्षकों/एजेंसियों ने न्यूनतम संख्या में प्रशिक्षुओं को निःशुल्क कोचिंग प्रदान नहीं की है, वहां कोचिंग अनुबंधों का विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा। यदि प्रबंधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या के 10% से अधिक कोचिंग प्रदान करना उचित समझता है, तो प्रबंधन अनिवार्य से अधिक ईडब्ल्यूएस प्रशिक्षुओं की अतिरिक्त संख्या के लिए कोचिंग शुल्क के अपने हिस्से का भुगतान करेगा। 10%।
6. सप्ताह के दिन और कोचिंग देने का समय प्रबंधन द्वारा आवश्यकता और सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार तय किया जाएगा।
7. पेशेवर प्रशिक्षकों/कोचिंग एजेंसियों को विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने चाहिए। प्रस्तावों में कोचों/सहायक कोचों का विवरण होना चाहिए जो व्यक्तिगत रूप से कोचिंग प्रदान करने में शामिल होंगे, साथ ही कोच और/या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में उनकी योग्यता, अनुभव और उपलब्धि के साथ। कोचिंग में मान्यता और प्रशिक्षुओं की उपलब्धि के लिए पुरस्कारों का विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
8. यदि एक से अधिक एजेंसी द्वारा मुख्य कोच और सहायक कोचों सहित अन्य कोचों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है, तो इन एजेंसियों की बोलियों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, कोचों, सहायक कोचों और सहायक कर्मचारियों को यह वचन देना होगा कि उन्होंने कोचिंग कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए अपनी इच्छा केवल एक विशेष एजेंसी के लिए प्रस्तुत की है न कि किसी अन्य एजेंसी के लिए।
9. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज एजेंसी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्वप्रमाणित होंगे। आवेदनों के साथ संलग्न कोचों का बायोडाटा और प्रमाण पत्र कोचों और सहायक कोचों द्वारा स्वप्रमाणित किया जाएगा।
10. मुख्य कोच, कोच और सहायक कोच, जिनका नाम एजेंसी/आवेदक ने एनआईपी के लिए बोली लगाते समय प्रस्ताव में शामिल किया है, को एक पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें कहा गया हो कि वे एजेंसी के लिए कोच के

रूप में काम करने के लिए उपलब्ध हैं और तैयार हैं, यदि एजेंसी को कोचिंग अनुबंध से सम्मानित किया जाता है। कोच/एजेंसी एनआईपी के लिए बोली लगाते समय कोचिंग प्रस्ताव में प्रस्तुत मुख्य कोच, कोच और सहायक कोचों को नहीं बदल सकते। सहायक स्टाफ में परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है जिसके लिए परिसर के सचिव से अनुमोदन लेना होता है। सहायक स्टाफ को ऐसे कर्मचारियों से बदला जाएगा जिनके पास मूल्यांकन किए गए प्रारंभिक प्रस्ताव में उल्लिखित सहायक स्टाफ की समान योग्यताएं और अनुभव हों। अनुपालन न करने पर कोचिंग अनुबंध समाप्त किया जाएगा।

11. किसी भी विषय में किसी भी कोच/कोचिंग एजेंसी को अधिकतम दो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिए जाएंगे।

12. व्यस्त समय के दौरान खेल परिसर में खेल सुविधाएं, यानी सुबह 6.00 बजे से सुबह 8 बजे और शाम 6.00 बजे तक। रात 8 बजे तक आमतौर पर कोचिंग के लिए उपलब्ध नहीं होगा और इन समय के दौरान सुविधाओं का उपयोग विशेष रूप से सदस्यों के लिए होगा। तथापि, यदि कोई अतिरिक्त क्षमता है, जैसा कि परिसर के सचिव द्वारा मूल्यांकन किया गया है, तो इन घंटों के दौरान भी, शर्तों के अधीन, कोचिंग की अनुमति दी जा सकती है।

13. प्रत्येक खेल परिसर में, प्रत्येक अनुशासन में आमतौर पर एक विशेष स्तर की कोचिंग के लिए केवल एक कोचिंग अनुबंध दिया जाएगा। हालांकि, कोचिंग के विभिन्न स्तरों के लिए, यानी एक ही विषय में बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस के लिए, एक विशेष परिसर में अलग-अलग कोच/एजेंसियां हो सकती हैं। तथापि, आवश्यकता एवं सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर किसी खेल परिसर में किसी भी स्तर की कोचिंग में एक से अधिक कोचिंग अनुबंध भी दिए जा सकते हैं।

14. सभी खेल परिसरों में सदस्यों और गैर-सदस्यों के लिए कोचिंग दरों में अंतर गैर-सदस्यों के लिए 25% अतिरिक्त शुल्क पर एक समान होगा।

15. सदस्यों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रस्तावित मासिक शुल्क को प्रस्ताव की वित्तीय बोली में अंकों और शब्दों में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। गैर-सदस्यों के लिए शुल्क सदस्यों द्वारा देय शुल्क से 25% अधिक होगा। कोचिंग फीस पर जीएसटी लागू होगा। सदस्यों से लिया जाने वाला प्रस्तावित मासिक शुल्क अनुलग्नक-III में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार एक अलग सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हालांकि, मासिक कोचिंग शुल्क के अलावा, कोचों/एजेंसियों को कोई वापसी योग्य/अप्रतिदेय प्रवेश शुल्क लेने की अनुमति नहीं होगी। कोचिंग शुल्क वसंत कुंज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स द्वारा एकत्र किया जाएगा और कोच/एजेंसी का हिस्सा अगले महीने के 7 वें दिन या उससे पहले कॉम्प्लेक्स द्वारा एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा प्रेषित किया जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों से एक बार में केवल एक माह पूर्व ही कोचिंग शुल्क लिया जाएगा।

16. किसी विशेष विषय में समान स्तर की कोचिंग की दरें परिसर के स्थान और सदस्यता प्रोफाइल के अनुसार परिसरों के बीच तुलनीय होनी चाहिए।

17. प्रशिक्षकों/एजेंसियों को अपने प्रस्ताव में अतिरिक्त इनपुट, प्रशिक्षण सहायता और खेल उपकरण की लागत का विवरण स्पष्ट रूप से बताना होगा जो वे अनुरोध पर प्रशिक्षुओं को प्रदान करना चाहते हैं। इन निविष्टियों, उपकरणों आदि के लिए विनिर्देशों और दरों को परिसर के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक होगा और इसे खेल परिसर के नोटिस बोर्ड के साथ-साथ कोचिंग अनुबंध में भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें उल्लिखित मदों के अलावा भुगतान के आधार पर प्रशिक्षुओं को कोई अन्य वस्तु प्रदान नहीं की जा सकती है। अनुमोदित मदों की दरों में किसी भी परिवर्तन के लिए कोचों/एजेंसियों द्वारा प्रबंधन की पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक है। इन अनुमोदित मदों के लिए भुगतान सीधे कोच/एजेंसियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और इनसे राजस्व का कोई हिस्सा डीडीए को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इससे कोई विचलन अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और कोचिंग अनुबंधों के विस्तार के लिए समीक्षा के समय विचार किया जाएगा।

18. प्रशिक्षकों/एजेंसियों को प्रशिक्षण के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुई किसी भी चोट, जीवन की हानि आदि के लिए डीडीए की क्षतिपूर्ति करनी होगी।

19. डीडीए द्वारा अनुमोदित किसी भी घटना में प्रशिक्षुओं की भागीदारी के लिए कोच/एजेंसियां पूरी तरह से जिम्मेदार होंगी।

20. कोचों/अकादमियों को अपनी अकादमियों का नामकरण/ब्रांडिंग करते समय डीडीए का नाम शामिल करने की अनुमति होगी।

21. कोचिंग के लिए क्लबों से कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

22. सभी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुई किसी भी चोट, जीवन की हानि आदि के लिए कोचिंग के नियमों और शर्तों के विवरण के साथ एक फॉर्म भरना होगा और डीडीए को क्षतिपूर्ति भी करनी होगी।

प्रस्तावों का मूल्यांकन:

23. मूल्यांकन पूरी तरह से सहायक दस्तावेजों के आधार पर होगा और योग्यता, अनुभव और उपलब्धियों के सभी विवरणों को तभी चिह्नित किया जाएगा जब ये दस्तावेज प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे।

24. एक समिति वसंत कुंज खेल परिसर में एक विशेष विषय में कोचिंग के लिए प्राप्त सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी। मूल्यांकन योग्यता, कोचों और सहायक कोचों के अनुभव, एक खिलाड़ी के रूप में उपलब्धियों, एक कोच के रूप में उपलब्धियों, कोचिंग के लिए उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित तकनीकी उपकरण और प्रशिक्षण किट, प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रस्तावित कार्यप्रणाली और प्रशिक्षुओं की प्रगति की निगरानी के आधार पर किया जाएगा। आदि तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन कुल 80 अंकों के लिए होगा। केवल उन्हीं कोचों/एजेंसियों की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी जो अपनी तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन में 80 में से न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करेंगे। वित्तीय बोलियों के लिए 20 अंकों का मूल्यांकन निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाएगा: -

एल एक्स 20

भाव

जहां 'एल' कोच/एजेंसी द्वारा जमा की गई सबसे कम कोचिंग फीस है जिसकी वित्तीय बोली खोली गई है और 'रेट' कोच/एजेंसी द्वारा जमा की गई कोचिंग फीस है जिसकी वित्तीय बोली का मूल्यांकन किया जा रहा है। वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन का उदाहरण इस प्रकार है:-

आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोचिंग दर	वित्तीय बोली के लिए कुल 20 में से अंक
रु. 1000 प्रति माह (न्यूनतम वित्तीय बोली)	20
रु. 1500 प्रति माह	13
रु. 2000 प्रति माह	10
रु. 2500 प्रति माह	8
रु. 3000 प्रति माह	6

25. तकनीकी और वित्तीय बोलियों से उच्चतम संयुक्त अंक प्राप्त करने वाले कोच/एजेंसी को कोचिंग प्रदान की जाएगी। यदि एजेंसियां/कोच समान अंक प्राप्त करते हैं, तो तकनीकी बोली में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाली एजेंसी को कोचिंग प्रदान की जाएगी।

अन्य नियम और शर्तें:

26. कोचिंग एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध पर प्रदान की जाएगी, जिसे सालाना अधिकतम पांच साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, असंतोषजनक प्रदर्शन या अनुबंध के नियमों और शर्तों के गैर-अनुपालन के मामले में कोचिंग अनुबंध को पांच साल की कुल अवधि से पहले समाप्त किया जा सकता है।

27. प्रस्ताव में प्रस्तावित प्रशिक्षक-प्रशिक्षु अनुपात का उल्लेख किया जाए। सभी प्रस्तावों में पासपोर्ट आकार के फोटो, पहचान प्रमाण, फोन नंबर, सेल फोन नंबर और आवासीय पते के साथ सभी कोचों, सहायक कोचों और सहायक कर्मचारियों की विस्तृत प्रोफाइल होनी चाहिए। जिन संस्थानों में वे वर्तमान में कोचिंग दे रहे हैं या पूर्व में कोचिंग दे चुके हैं, उनके कोचों/एजेंसियों का प्रदर्शन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

28. अनुबंधों के विस्तार पर सालाना अधिकतम पांच साल की अवधि के अधीन विचार किया जाएगा। मूल्यांकन प्रशिक्षुओं, माता-पिता/अभिभावकों से प्राप्त फीडबैक, प्रशिक्षण के दौरान कोचों की उपलब्धता, प्रशिक्षुओं की

उपलब्धि, प्रशिक्षकों की संख्या, प्रशिक्षक-प्रशिक्षु अनुपात, राजस्व उत्पन्न, प्रशिक्षण सहायता, उपकरण और उपयोग की गई प्रौद्योगिकी और अनुपालन के आधार पर किया जाएगा। खेल परिसर के नियम और कानून।

29. नियमित कोचिंग के अलावा, विशेष रूप से छात्रों के लिए गर्मी की छुट्टियों के दौरान विशेष कोचिंग शिविर भी पूर्व अनुमोदन के अधीन आयोजित किए जा सकते हैं।

30. कोचिंग के लिए डीडीए द्वारा आवंटित बुनियादी ढांचे का उपयोग केवल कोचिंग के उद्देश्य के लिए किया जाएगा और इसमें किसी अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

31. यदि प्रशिक्षण उपकरण के लिए भंडारण स्थान की आवश्यकता है, तो इसे प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। हालाँकि, यह डीडीए के विवेक पर प्रदान किया जाएगा, यदि ऐसा भंडारण स्थान उपलब्ध है, तो पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर।

32. सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे खेल परिसर में उस सुविधा का दौरा करें जिसके लिए वे कोचिंग के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं और अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले क्षमता का मूल्यांकन करें। इस संबंध में बाद में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

33. बोली को पृष्ठ क्रमांकित किया जाना चाहिए और प्रस्ताव में निहित पृष्ठों की कुल संख्या को कवरिंग पत्र में दर्शाया जाना चाहिए। यदि कोई संलग्नक संलग्न नहीं पाया जाता है तो डीडीए जिम्मेदार नहीं होगा।

34. यदि कोच या कोई सहायक कोच या सहायक कर्मचारी वर्तमान में किसी सरकारी विभाग, सरकारी उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि में काम कर रहे हैं, तो भुगतान किए गए कोचिंग आयोजित करने के लिए संबंधित संगठन का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) होना आवश्यक है। प्रस्तुत। यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है और बाद में यह पता चलता है कि व्यक्ति ने अनधिकृत रूप से भुगतान की गई कोचिंग का संचालन किया है, तो कोचिंग अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।

35. जीएसटी पंजीकरण विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हालांकि, यदि कोच/एजेंसी की वार्षिक आय रुपये से कम है। 20 लाख, तो कोच/एजेंसी जीएसटी पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। हालांकि, जब और जब कारोबार रुपये से अधिक हो जाता है। 20 लाख, जीएसटी पंजीकरण तुरंत प्राप्त किया जाएगा। इस संबंध में एक अंडरटेकिंग कोच/एजेंसी द्वारा प्रस्तुत की जानी है।

36. क्या कोच व्यक्तिगत रूप से कोचिंग देगा और यदि हां, तो महीने में कितने दिन वह व्यक्तिगत रूप से कोचिंग के लिए उपस्थित होगा। तकनीकी मूल्यांकन इस पर विचार करेगा और कोचिंग के वार्षिक विस्तार पर भी विचार किया जाएगा कि क्या यह प्रस्ताव में किए गए प्रस्तुतीकरण के अनुसार पूरा किया जा रहा है।

37. तकनीकी बोलियां अनुबंध-I और II के अनुसार और वित्तीय बोली अनुलग्नक-III के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए। तकनीकी और वित्तीय बोलियां दो अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में प्रस्तुत की जानी चाहिए जिन पर क्रमशः "तकनीकी बोली" और "वित्तीय बोली" लिखा होना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से कोच/एजेंसी के नाम का उल्लेख हो। इन दोनों सीलबंद लिफाफे को एक अलग सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए, जिस पर "वसंत कुंज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बास्केटबॉल कोचिंग के लिए बोलियां" लिखी हों।

38. उपरोक्त सभी पहलुओं सहित विस्तृत प्रस्ताव कार्यालय सचिव (समन्वय), स्पोर्ट्स विंग, सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110049 में 22.07.2022 तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए। अधूरे प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि आवश्यक हो, तो डीडीए द्वारा स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।

आयुक्त (खेल)

तकनीकी बोली

कोचिंग के लिए प्रस्ताव का विवरण

क्रमांक	विवरण	ब्यौरी
1.	नाम	
2.	पंजीकृत पता	
3.	मालिक/निदेशक/प्रशासनिक प्रमुख/कोच का नाम	
4.	स्वामित्व के प्रकार	मालिकाना/साझेदारी/कंपनी/एलएलपी
5.	उपरोक्त के समर्थन का प्रमाण	समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें और यहां संलग्न दस्तावेजों की सूची बनाएं
6.	खेल	यहां केवल एक खेल की सूची बनाएं। यदि एक से अधिक खेल मांगे जाते हैं तो अलग से प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा
7.	पेशकश की जाने वाली कोचिंग का स्तर/प्रकृति	सूची स्तर और यदि एक से अधिक स्तरों की पेशकश की जाती है तो विभेदीकरण को बढ़ाया जाना है
8.	कोचिंग के दिनों/सप्ताह और प्रस्तावित कोचिंग के समय की संख्या	
9.	पिछला कोचिंग अनुभव	समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें और यहां संलग्न दस्तावेजों की सूची बनाएं
10.	कोचिंग प्रदान करने वाले प्रशिक्षकों/सहायक प्रशिक्षकों/सहायक कर्मचारियों के नाम	यदि आवश्यक हो तो अनुलग्नक संलग्न करें और उसे यहां सूचीबद्ध करें।
11.	मुख्य कोच की योग्यता	
12.	सहायक प्रशिक्षकों की योग्यता	
13.	न्यायालयों की संख्या/आवश्यक अवसंरचना	अदालतों/मैदानों, उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित अवधि और प्रस्तावित समय के संदर्भ में आवश्यक बुनियादी ढांचे को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें।
14.	खेल परिसर को वरीयता क्रम में वरीयता	किसी भी संख्या को सूचीबद्ध किया जा सकता है लेकिन आवंटन नियम और शर्तों में सूचीबद्ध दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
15.	प्रशिक्षक/प्रशिक्षु अनुपात प्रस्तावित	
16.	प्रशिक्षण सहायता/उपकरण प्रदान किए जाने हैं	

स्थान: आवेदक का पूरा नाम और हस्ताक्षर

दिनांक: अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम और हस्ताक्षर
स्थापना की मुहर के साथ (एजेंसी के मामले में)

पता:

ईमेल:

सेल फोन/लैंडलाइन नं.

तकनीकी बोली

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच सूची

क्रमांक	जमा किए जाने वाले दस्तावेज	प्रस्तुत	टिप्पणियां
1.	फर्मों के पंजीकरण की प्रति (एजेंसी के मामले में)		लागू दस्तावेज़ संलग्न करें या बताएं उपलब्ध नहीं या लागू नहीं
2.	ईपीएफ के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति (एजेंसी के मामले में)		लागू दस्तावेज़ संलग्न करें या बताएं उपलब्ध नहीं या लागू नहीं
3.	ईएसआई के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति (एजेंसी के मामले में)		लागू दस्तावेज़ संलग्न करें या बताएं उपलब्ध नहीं या लागू नहीं
4.	लेबर लाइसेंस की कॉपी (एजेंसी के मामले में)		लागू दस्तावेज़ संलग्न करें या बताएं उपलब्ध नहीं या लागू नहीं
5.	पिछले 2 वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रति		लागू दस्तावेज़ संलग्न करें या बताएं उपलब्ध नहीं या लागू नहीं
6.	जीएसटी पंजीकरण की प्रति		लागू दस्तावेज़ संलग्न करें या बताएं उपलब्ध नहीं या लागू नहीं
7.	पैन/टैन कार्ड की प्रति		लागू दस्तावेज़ संलग्न करें या बताएं उपलब्ध नहीं या लागू नहीं
8.	दिनांक वाले ग्राहकों की सूची		
9.	अनुभव का प्रमाण		
10.	चार्टर्ड एकाउंटेंट से पिछले 2 वर्षों का लेखापरीक्षित विवरण		लागू दस्तावेज़ संलग्न करें या बताएं उपलब्ध नहीं या लागू नहीं

स्थान: आवेदक का पूरा नाम और हस्ताक्षर

दिनांक: अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम और हस्ताक्षर
स्थापना की मुहर के साथ (एजेंसी के मामले में)

पता:

ईमेल:

सेल फोन/लैंडलाइन नं.

वित्तीय बोली

1.	कोच/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम और एजेंसी का नाम	
2.	पता, सेल फोन नंबर, ई-मेल आईडी	
3.	खेल अनुशासन जिसमें कोचिंग संचालित करने का प्रस्ताव है	
4.	प्रति सप्ताह दिनों की संख्या और प्रस्तावित कोचिंग के लिए समय (कॉम्प्लेक्स के परामर्श से तय किया जाना है)	
5.	सदस्यों के लिए मासिक कोचिंग शुल्क (गैर-सदस्यों के लिए 25% अतिरिक्त कोचिंग शुल्क) उपर्युक्त खेल परिसरों में से प्रत्येक के लिए। (प्रस्तावित कोचिंग शुल्क का उल्लेख अंकों और शब्दों दोनों में किया जाना चाहिए) यदि विसंगति है, तो शब्दों में उद्धृत दर पर विचार किया जाएगा।	

तकनीकी बोलियों के आकलन के लिए मूल्यांकन मानदंड (80 अंक)

कोच/सहायक कोच/सहायक स्टाफ का नाम
जो व्यक्तिगत रूप से कोचिंग प्रदान करेगा

क्र मां क	मानदंड	कुल मार्क	महत्व		अंक प्रदान किए गए	टिप्पणियां
1	कोच की तकनीकी योग्यता (एनआईएस योग्य / फेडरेशन द्वारा अनुमोदित प्रमाणन / अंतर्राष्ट्रीय डिग्री / कोचिंग में प्रमाणन)	15	एनआईएस डिग्री/ प्रमाणन	05		
			अंतरराष्ट्रीय डिग्री/प्रमाणन	05		
			खेल/खेल विज्ञान में अतिरिक्त डिग्री/प्रमाणन	05		
2	वर्षों में कोचिंग का अनुभव	15	5 साल तक	05		
			5 से 10 साल	05		
			10 साल से ऊपर	05		
3	एक खिलाड़ी के रूप में उपलब्धियां	10	खेल में आधिकारिक महासंघ द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शीर्ष 3 रैंकिंग	04		
			खेल में आधिकारिक महासंघ द्वारा मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक विजेता	04		
			अर्जुन/राजीव खेल रत्न पुरस्कार या खेल में इसी तरह का राष्ट्रीय पुरस्कार/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में एकाधिक चैंपियन	02		
4	एक कोच के रूप में उपलब्धियां	15	प्रशिक्षु - खेल में आधिकारिक महासंघ द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक विजेता	05		
			प्रशिक्षु - खेल में आधिकारिक महासंघ द्वारा मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक विजेता	05		
			एकाधिक प्रशिक्षु - खेल में आधिकारिक महासंघ द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक विजेता	05		

5	सहायक प्रशिक्षकों और अन्य सहायक कर्मचारियों की तकनीकी योग्यता, अनुभव और उपलब्धियां	15	सहायक प्रशिक्षकों की तकनीकी योग्यता	05		
			सहायक प्रशिक्षकों का अनुभव	05		
			अन्य सहायक स्टाफ/सहायक कोचों की तकनीकी योग्यता और अनुभव	05		
6	कोचिंग में उपयोग के लिए प्रस्तावित तकनीकी उपकरण और प्रशिक्षण सहायता और प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण और निगरानी की प्रगति की प्रस्तावित पद्धति	10	तकनीकी उपकरण और प्रशिक्षण सहायता	05		
			प्रशिक्षण और निगरानी प्रगति के लिए कार्यप्रणाली	05		
7	कुल मार्क	80				